Important notice regarding UPMT-2015 3rd Round (Final Round) Online Counselling

All the qualified candidates are hereby informed that third and final round of counselling for UPMT-2015 (Uttarakhand Pre-Medical Test-2015) for allotment of existing vacant/expected AIPMT left-out seats/seat upgradation to MBBS/BDS courses under State quota seats in Govt./Private Medical/ Dental colleges will commence from 12.09.2015 and information regarding availability of seats, registration fees and filling-up of the last choice by the candidates will be available on University website www.hnbumu.ac.in.

Mop-up round (manual seat allotment will be held on 30.09.2015 (10:00 AM) at Government Medical College, Haldwani campus) after allotment of third round seats, the remaining vacant seats will be filled-up only for Government Medical Colleges (Haldwani and Srinagar) from the waiting list of third round counselling. The intimation will be available soon after seat allotment of third round counselling through University website only.

All candidates are advised to visit the University website regularly.

Professor Vijay Juyal
Controller of Examination,
HNB Uttarakhand Medical Education University

UPMT- 2015 Counselling Schedule (3rd Round)

Dates	Activity
12.09.2015 (**Saturday**) 09:00 AM to 15.09.2015 (**Tuesday**) 05:00 PM	**For registered candidates** → Filling-up of the **last choice** **For new registration** → Registration, Document Upload, Fee Payment and Filling-up of the **last choice**
16.09.2015 to 18.08.2015	Result Processing
19.09.2015	Declaration of Result
24.09.2015	Last date of confirming admission at allotted college/Institute
30.09.2015	**Mop-up round** [**MANUAL SEAT ALLOTMENT** for Govt. MedicalColleges (Haldwani and Srinagar) all category available seats on the basis of 3rd round waiting list] **10:00 AM to 01:00 PM** – Candidates Reporting **02:00 PM** – Seat allotment

Controller of Examination
H.N.B. Uttarakhand Medical Education University

NOTE : Mop-up round will be held at Government Medical College, Haldwani Campus.

यू0पी0एम0टी0–2015 तृतीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन यू0पी0एम0टी0–2015 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा।

1. यू0पी0एम0टी0–2015 की काउॅन्सिलिंग प्रक्रिया online माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी। काउॅन्सिलिंग की प्रक्रिया, तिथियॉ, समय एवं काउॅन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियॉ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड़ की जा रही हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी।
2. यू0पी0एम0टी0–2015 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शासन द्वारा इस हेतु गठित काउॅन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय कॉउन्सिलिंग के माध्यम से यू0पी0एम0टी0–2015 प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
3. तृतीय चरण के माध्यम से ली गई अभ्यर्थियों की **अन्तिम च्वाईस** होगी। उसके उपरान्त अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार च्वाईस नहीं ली जायेगी।
4. राजकीय मेडिकल कालेजों में तृतीय चरण के सीट आवंटन के उपरान्त सीटें रिक्त रहने की दशा में तृतीय चरण की **प्रतीक्षा सूची के आधार** पर दिनांक 30.09.2015 को प्रातः 10:00 बजे से को राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी परिसर में **मैनुवल (Manual) काउन्सिलिंग** आयोजित की जायेगी। मैनुवल काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग स्थल पर निर्धारित समयान्तर्गत स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। **मैनुवल काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज साथ लायें। साथ ही सीट आवंटन होने की दशा में उन्हें तत्समय अपना प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु रूपया 50,000.00 (रूपया पचास हजार मात्र) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि संबंधित कालेज के प्राचार्य के पक्ष में देय हो, मूलरूप में कालेज प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय प्रबन्धन द्वारा अभ्यर्थियों के लिए काउन्सिलिंग स्थल पर ही बैंक ड्राफ्ट बनाये जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।**
5. मात्र यू0पी0एम0टी0–2015 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का मेडिकल/डेन्टल कॉलेजों की राज्य कोटें की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश यू0पी0एम0टी0–2015 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों एवं अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
6. यू0पी0एम0टी0–2015 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से तृतीय चरण की सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित समय–सीमा में Online काउॅन्सिलिंग धनराशि **(सामान्य एवं पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए रूपया 1000/– तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गो के अभ्यिर्थियों के लिए रूपया 700/–)** Online (through ATM Card/Credit Card/Debit Card/Net Banking) माध्यम से पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी ही कॉउन्सिलिंग

के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जायेंगें। पंजीकरण शुल्क Non-Refundable होगा। **जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम अथवा द्वितीय चरण में Online काउॅन्सिलिंग धनराशि जमा की जा चुकी है, उन्हें पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है**। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

7. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में उपरोक्त बिन्दु में उल्लिखित विवरणानुसार शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करवा चुका हैं और वह तृतीय काउंसिलिंग में भी सम्मिलित होना चाहता है तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा, किन्तु संबंधित अभ्यर्थी को सीट आवंटन उपलब्ध सीटों एवं मेरिट के आधार पर होगा।

8. कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा एक बार सीट आवंटित होने के उपरान्त, आवंटित सीट को उस कॉउन्सिलिंग चरण विशेष में बदला नहीं जाएगा।

9. अभ्यर्थी को सभी संस्थानों में पाठ्यक्रम/संस्थान बदलने की सुविधा प्रवेश की अन्तिम तिथि तक अनुमन्य होगी।

10. यू0पी0एम0टी0–2015 परीक्षा के माध्यम से कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होगें तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार यू0पी0एम0टी0–2015 कॉउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।

11. काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचनाऐं समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में भी प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

12. तृतीय चरण की काउॅन्सिलिंग के उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने अथवा केन्द्रीय कोटे की सीटें वापस आवंटन हेतु प्राप्त होने की दशा में तृतीय चरण की प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 30.09.2015 को Mop-up Round (**Manual Counselling**) के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। तृतीय चरण में पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की प्रतिक्षा सूची के आधार पर एम0सी0आई0/डी0सी0आई0/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सारणी एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप यू0पी0एम0टी0 काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सम्यक निर्णय लेकर प्रश्नगत कालेजों में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि से पूर्व यथासम्भव सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

13. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे तृतीय चरण में उपलब्ध सीटों के आधार पर अपनी च्वाईस अनिवार्य रूप से दर्ज (Lock) कर लें।

14. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि कालेजवार/पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों की संख्या एवं अन्य विवरण भली–भांति देखकर अपनी च्वाईस लॉक करायें। एक बार च्वाईस लॉक हो जाने के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी की च्वाईस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी भरी गई च्वाईस का प्रिंट आऊट अपने पास अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।

15. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम अथवा द्वित्तीय चरण की काउॅन्सिलिंग में यू0पी0एम0टी0–2015 प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट के आधार पर कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किसी संस्थान में सीट आवंटित हुयी हो तथा वे तृतीय चरण की काउॅन्सिलिंग/प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवटंन की कार्यवाही में सम्मिलित होकर उक्त आवंटित संस्थान/पाठ्यक्रम को बदलना चाहते हो, तो उन्हें इसकी अनुमति होगी। परन्तु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी की यू0पी0एम0टी0–2015 की मेरिट एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी।

16. **एक बार पूर्व आंवटित सीट को परिवर्तित (seat upgradation) कर यदि अभ्यर्थी को तृतीय कॉउन्सिलिंग की सीटों में कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान/पाठ्यकम की सीट आंवटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आंवटित सीट पर अधिकार तत्काल समाप्त हो जाएगा** तथा उस रिक्त सीट को कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के कम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटन कर दिया जाएगा। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट परिवर्तन करने से पूर्व विचार कर लें तथा वर्तमान में आंवटित सीट से उच्च या ज्यादा रूचि वाली सीट को ही choice में भरें।**

17. अभ्यर्थी को कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा तृतीय चरण की काउॅन्सिलिंग/प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवटंन की कार्यवाही में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

18. **यदि कोई अभ्यर्थी सीट आवंटन के पश्चात आवंटित पाठ्यक्रम/ संस्थान मे निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश नहीं लेता है तो उसे आगामी काउॅन्सिलिंग/प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवटंन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे, उन्हें सीट आंवटन होने से पूर्व ध्यानपूर्वक सोच विचार कर लें।**

19. अभ्यर्थी को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन के उपरान्त समस्त वांछित मूल दस्तावेज/अभिलेख ऑनलाईन माध्यम से डाउनलोड किये गये सीट आवंटन पत्र की प्रति सहित संबंधित कालेज के प्राचार्य अथवा नामित प्रतिनिधि के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

यू0पी0एम0टी0–2015 तृतीय चरण की ऑनलाईन काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेख

मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित समय–सीमान्तर्गत **ऑनलाईन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया** को पूर्ण करते हुए (पाठ्यक्रमवार/कालेजवार च्वाईस सहित) निम्नलिखित मूल अभिलेखों की स्वः सत्यापित प्रति PDF format में अपलोड़ करनी होगी :–

1. हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका।
2. इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका।
3. श्रेणी प्रमाण–पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों)
4. उप–श्रेणी प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
5. उत्तराखण्ड के स्थाई/मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र। (यदि आवश्यक हो तो)
6. निर्धारित पंजीकरण शुल्क (Online माध्यम से)
7. अन्य सम्बन्धित मूल (अभिलेख यदि कोई है तो)।

नोट :–
1. किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit मान्य नहीं होगा।
2. **ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2015 तक अथवा काउंसिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए।**
3. उत्तराखण्ड के निवासी सेवारत सैनिकों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्व में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए के लिए निर्धारित उपश्रेणी (**DPW – 5%**) में ITBP/CRPF/Assam Rifle/ BSF/CISF/GREF/SSB तथा अन्य Paramilitary Forces को उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- **अभ्यर्थी को शुल्क तथा अन्य विवरण जैसे परीक्षा शुल्क, होस्टल फीस इत्यादि संबंधित विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर प्रदर्शित किया जा चुका है। उपरोक्त विषय मे उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। अभ्यर्थी सीट आवंटन के अनुसार इस संबंध में संबंधित कालेजों के प्राचार्यो से सम्पर्क स्थापित करें।**

राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धित बॉण्ड

- राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों मे चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 1145/XXVIII(1)/2013-U.O.-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि केवल वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल (राजकीय मेडिकल

कालेज श्रीनगर) तथा राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को रियायती दरों पर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प देते हुए राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य सेवा संविदा पर प्रदान करने का विकल्प दिया जाएगा। अनिवार्य सेवा का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थीयो को ही इन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरो पर चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को संस्थान में प्रवेश के समय **इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा। (अनिवार्य सेवा सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र सूचना विवरिणका के बिन्दु संख्या–13 पर अभ्यर्थियों के संज्ञानार्थ प्रकाशित की गयी है।)**

- उक्त अनुबन्ध पत्र अभ्यर्थी को कॉलेज में प्रवेश के समय ही भरना अनिवार्य होगा। अतः इच्छुक अभ्यर्थी अनुबन्ध पत्र हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखो के साथ सम्बन्धित कॉलेज में प्रवेश के समय उपस्थित होना सुनिश्चत करे अन्यथा की स्थिति में उन्हे रियायती दरो पर कॉलेज में प्रवेश दिया जाना सम्भव नही होगा। अतः इच्छुक अभ्यर्थीयो को यह सलाह दी जाती है कि वे इन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन होने के तत्काल बाद ही सम्बन्धित कॉलेज से उक्त अनुबन्ध पत्र भरने हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखो एवं औपचारिकताओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं सम्पर्क स्थापित करे। ताकि उन्हें प्रवेश के समय अनिवार्य सेवा सम्बधी उक्त अनुबन्ध पत्र भरनें में कोई कठिनाई ना हों।

प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कॉउन्सिलिंग में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ना चाहता है। तो उसे द्वितीय कॉउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से इसकी सूचना कॉउन्सिलिंग बोर्ड को देनी होगी। इस दशा में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 4000/– मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम /द्वित्तीय/तृतीय चरण की कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त नियमानुसार पाठ्यक्रम/संस्थान परिवर्तित कर पूर्व आवंटित संस्थान में सीट छोडकर निर्धारित तिथि के अन्दर दूसरे आवंटित संस्थान में प्रवेश ले लेता है। तो इस दशा में ही उसे पूर्व आवंटित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 4000/– मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट परिवर्तित करने के उपरान्त निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी तृतीय कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ता है। तो इस दशा में उसके द्वारा रिक्त की गयी सीट के विरूद्व किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा सीट भरे जाने की स्थिति में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 4000/– मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान से वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के **सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।**

नोट :– राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धित बॉण्ड, प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया, प्रवेश शुल्क अथवा प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी आदि के संबंध में अभ्यर्थी सीधे कालेजों से सम्पर्क स्थापित करें। उक्त के संबंध में काउन्सिलिंग बोर्ड तथा विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।